न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 414/17</u> निर्णय दिनांकः—11.02.2019

1.	बिरूराम	पिसरान लालूराम जाति मेघवाल निवासी पवारवाल
2.	किशनाराम	तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक शून्य
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक शून्य जिसके द्वारा अपीलांट का नियमन का प्रार्थना पत्र बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने दिनांक 14—03—2013 को चक 1 आरजेएम के मुरब्बा नम्बर 80/35 के किला नम्बर 23 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 80/36 के किला

नम्बर 3 ता 8, 13 ता 17, 24, 25 व ग्राम बागड़सर के खसरा नम्बर 341 में 27 बीघा 18 बिस्वा भूमि के नियमन का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 ए आवंटन नियम 1975 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार रिपोर्ट प्राप्त की गई जिस पर अधिनस्थ तहसील हाजा द्वारा अपीलांटगणों का फोटो फार्म मय रिपोर्ट पटवारी दिनांक 05—04—2013 को भिजवाई गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट्स को नोटिस व सूचना दिये मनमाने तरीके से यह कहते हुए की प्रकरण गैर खातेदारी निरस्त किये जाने से संबंधित है जो न्यायिक है व अपील योग्य है। अतः प्रकरण नियमन का नहीं होने से निरस्त योग्य है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। प्रकरण में अपीलांट के पास उक्त भूमि का कब्जा नियमन कराने व नियमानुसार राशि जमा करवाने का ही एकमात्र विकल्प है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील दिनांक 24—11—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का प्रकरण गैर खातेदारी निरस्त किये जाने से संबंधित है जो की न्यायिक है। अपीलांट आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 21 ए के तहत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील 24—11—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष आंवटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 21 ए के तहत वादगत् भूमि के नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि आवेदक का प्रकरण उक्त भूमि पर गैर खातेदारी निरस्त किये जाने से संबंधित है जो न्यायिक है। प्रकरण अपील न्यायालय में अपील योग्य है। कृषि भूमि के आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 21 ए के तहत प्रकरण नियमन का नहीं होने से प्रस्ताव निरस्त योग्य है। काश्त नहीं कर रहा है।

(3) इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी

से वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी के पिता के नाम ग्राम बांगड़सर के खसरा नम्बर 341 में 27 बीघा 18 बिस्वा भूमि सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा गैरखातेदारी स्वीकार की गई। उक्त भूमि चकबन्दी में आने पर चक 1 आरजेएम के मुरब्बा नम्बर 80/35 के किला नम्बर 23 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 80/36 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 17, 24, 25 में पैमूद हुई। उक्त भूमि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 22—07—2008 द्वारा गैर खातेदारी निरस्त करते हुए आराजीराज दर्ज की गई।

(4) इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत के समक्ष यह तमाम तथ्य उपलब्ध होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आवंटन नियमों का हवाला देते हुए अपीलांट का नियमन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जबकि विधि यह मंशा रही है कि किसी भी व्यथित व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकार को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस मूलभूत सिद्वान्त के विपरीत जाकर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

(5) अपीलांट वादगत् भूमि के नियमन का पात्र है अथवा नहीं? अपीलांट का वादगत् भूमि पर हक व हकूक पैदा होते है अथवा नहीं? अपीलांट का नियमन का प्रकरण आवंटन व विक्रय नियम 1975 के नियम 21 — ए के तहत बनता है अथवा नहीं? यह सभी तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के मोहताज है। अदालत मातहत द्वारा मात्र सरसरी तौर पर केवल प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जै अपील पुष्टि योग्य आदेश नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में समस्त तथ्यों की जॉच करते हुए व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर